कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 24/2000 दिनांक 23-2-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर ।

2- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री ललित कुमार शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।

4- श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-II, जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

6- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

7- श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक सं0 23/2000 दिनांक 22-2-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

(2) विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं0 24/2000-1 :- शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रघुनाथपुरी (जोन बी-3) :-

प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3 द्वारा बतायी गयी वस्तुस्थिति पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 65 के दक्षिण में 32 फिट चौड़ा जो भूखण्ड है उसे स्वीकृत मानचित्र में भूखण्ड संख्या

53

2•2- एजेण्डा सं024/2000-2 :- न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महावीर नगर-प्रथम(सैक्टर ।।)(जोन बी-।):-

मंत्री, न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति के पत्र जो भूखण्ड संख्या 317ए महावीर नगर के नियमन के संबंध में था, उपायुक्त बी-। द्वारा समिति के समक्ष एजेन्डा के रूप में प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा उपायुक्त द्वारा बताये गये तथ्यों एवं एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 317ए जो पूर्व स्वीकृत मानचित्र में फैसिलिटी एरिया के अन्तर्गत दर्शाया गया था उसको आवासीय उपयोग के लिए नियमित कर दिया जाये तथा इसके बदल में पूर्व में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भूखण्ड सं0362 को फैसिलिटी एरिया के अन्तर्गत अंकित किया जाये ।

एजेण्डा सं0 24/2000-3:-

2•3- पूर्व में भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक संख्या 10/99 दिनांक 25•10•99 में लिये गये नीतिगत निर्णय(एजेन्डा संख्या 10/99-3) के अनुसार उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को अधिकृत किया गया । उपायुक्त सम्बन्धित भूखण्डों के प्रकरणों को पुष्टि हेतु बी•पी•सी•-द्वितीय(सी•पी•सी•) की बैठक में प्रस्तुत करेंगें । तदानुसार विभिन्न जोन से प्राप्त भूखण्ड के उपविभाजन/पुनगर्ठन के निम्न प्रकरणों में प्राप्त एजेन्डा सदस्य सचिव द्वारा समिति के सम्मुख पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये ।

1• श्री गोविन्द गृह नि•स•स• की योजना गोविन्द नगर पश्चिम(प्रथम) (जोन ए-2)भूखण्ड संख्या:29ए, 29बी, 37, 48, 48ए, 53ए, 53बी, 55, 55ए, 173ए, 175ए, 175, 193, 193ए, 213, 213ए व 134 ।

2• श्री गोविन्द गृह नि•स•स•की योजना गोविन्द नगर पूर्व(जोन ए-2) भूखण्ड संख्या:35, 35ए, 213ए, 288ए, ।

3• अपोलो हाउसिंग को•सोसायटी की हीरानगर योजना(जोन बी-2) के भूखण्ड संख्या 56ए ।

4• भगवती नगर ।। योजना(जोन बी-2) के भूखण्ड संख्या:60 ।

5• शंकर भवन गृ•नि•स•स•की योजना शक्तिनगर, गोपालपुरा बाईपास (जोन बी-2) के भूखण्ड संख्या:7, 45, 73, 85

उपरोक्त प्रकरणों में अंकित किये भूखण्डों का उपविभाजन स्वीकृत योग्य था । समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त भूखण्डों के उपविभाजन की पुष्टि की गयी ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक:एफ-11(14)जविप्रा/वनिन/सीपी/24/2000/डी-65 दिनांक: 24-2-2000

प्रतिलिपी:

1• वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2• निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।